न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. गजानन्द पुत्र रामजीलाल
2. दिनेश कुमार पुत्र गजानन्द
3. विष्णु कुमार पुत्र दिनेश कुमार
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ईटका तहसील सिकराय जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र गजानन्द
2. ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द
3. मीरा पुत्री गजानन्द
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ईटका तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री राकेश मीना आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी राकेश मीना प्रकरण उनवानी चन्द्रप्रकाश वगैरा बनाम गजानन्द वगैरा दावा मुकदमा नम्बर 179/2022 व टी. आई नम्बर 106/2022

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री रवि गंगावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः—03.07.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक वाद अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण सहित कुल 23 पक्षकारान के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष खातेदारी अधिघोषणा बाबत् प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र में तारीख पेशी 16.06.2023 नियत थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा गांव में एलानिया कहा जा रहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गई है तथा उक्त प्रकरण का जल्द से जल्द फैसला उनके हक में होने वाला है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावा व टी. आई. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के यहां विचाराधीन वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा में उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 21 की तामील नहीं हुई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी द्वारा तारीख पेशी 8.2.2023 की आदेशिका में यह अंकित कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 21 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उनकी तामील की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन तनकीयात भी विरचित कर दी गई तथा साक्ष्य वादी में गवाहो के शपथ पत्र लिये गये तथा इसी दिन प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी का निस्तारण प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 13.2.2023 नियत कर दी गई तथा प्रकरण में दिनांक 13.2.2023 से नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा एक दिवस में पांच कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को साक्ष्य वादी में लगा देना संदेहास्पद प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आनन–फानन में प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आतुर है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या व निराधार है एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने तथा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रकरण मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 तरतीबी पक्षकार जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिसके सम्बन्ध में विधिवत आदेश प्रदान किया जाना एवं प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर बहस किया जाना एवं नियमानुसार सुनवाई किया जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा की गई कार्यवाही से न्याय की उम्मीद नहीं होना व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सिकराय में विचाराधीन दावा मुकदमा संख्या 179/2022 व टी. आई संख्या 106/2022 उनवानी चन्द्रप्रकाश आदि बनाम गजानन्द आदि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 17.07.2023 से पूर्व उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में भिजवाई जावे। उभपक्षकारान दिनांक 17.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। उपखण्ड अधिकरी सिकराय एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा